<u>न्यायालय- सिविल जज (जू०डि०), बांदा।</u>

<u>मूलवाद सं०- 405/2022</u>

विशोषर बनाम श्रीमती सरकला आदि

<u>दिनांक- 07.12.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रतिवादीगण उपस्थित है, जबकि वादी उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली लंच के पश्चात् 02.00 बजे पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
बांदा।

<u>लंच के पश्चात् 02.00 बजे</u>

पत्रावली लंच के पश्चात् पेश हुई। बार-बार पुकार कराने पर भी वादी उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विगत नियत कई तिथियों से अनुपस्थित हैं। दिनांक 03.08.2023 को वादी को उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर आज की तिथि नियत की गई थी, किंतु वादी आज भी उपस्थित नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी की वाद चलाने में कोई रूचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय पर मामलों के अनावश्यक बोझ को कम करने के लिए न्यायहित में वादी की अनुपस्थिति में यह वाद आदेश 9 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत वाद वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार सिविल अभिलेखागार सम्प्रेषित की जाये।

सिविल जज (जू०डि०),
बांदा।